

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2018

दिनांक 07.03.2019

संशोधित आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिक श्री विनोद सिंह का पदनाम कनिष्ठ सहायक के स्थान पर वरिष्ठ सहायक पढा जावे ।

- Sd -

(सुरभि शर्मा)

संयुक्त रजिस्ट्रार(प्रशासन)

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2018

दिनांक 07.03.2019

प्रतिलिपी:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता एवं इगानप, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मां.स.वि.) सहकारी समितियों, प्रधान कार्यालय जयपुर
5. संयुक्त मुख्य अंकेक्षक, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों,
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, /विशेष लेखा परीक्षक,सहकारी समितियों,
8. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रधान कार्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे ।
9. लेखा शाखा (व्यय) प्रधान कार्यालय जयपुर को अतिरिक्त प्रति सहित ,
10. श्री द्वारा.....
11. रक्षित पत्रावली



संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2019

दिनांक 08/03/2019

संशोधित आदेश

181
इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 07 पर अंकित कार्मिक श्री मोहन सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, का पदस्थापन कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, उदयपुर के स्थान पर कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, उदयपुर पढ़ा जावे ।

हो/र
(सुरभि राणा)


संयुक्त रजिस्ट्रार(प्रशासन)

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2019

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता एवं इगानप, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों,
5. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, /विशेष लेखा परीक्षक,सहकारी समितियों,
6. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रधान कार्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे ।
7. श्री द्वारा.....
8. रक्षित पत्रावली


संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)